

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 943
उत्तर देने की तारीख - 02/12/2024

आदर्श विद्यालय

†943. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संपूर्ण देश में स्थापित आदर्श विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के संबंध में आदर्श विद्यालयों के उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप इन विद्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी, प्रशिक्षित शिक्षक और आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध हो; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री), एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना और समय के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरना और पड़ोस के अन्य स्कूलों को भी नेतृत्व प्रदान करना है। वे एक न्यायसंगत, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से अब तक 12,084 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयन के चौथे चरण तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविसं-वार चयनित स्कूलों की सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है।

पीएम श्री योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. गुणवत्ता और नवाचार (शिक्षण संवर्द्धन कार्यक्रम, समग्र प्रगति कार्ड, नवीन शिक्षण पद्धतियां,

बैंगलेस दिवस, स्थानीय कारीगरों के साथ प्रशिक्षुतावृत्ति, क्षमता निर्माण आदि)।

2. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख हकदारी।
3. वार्षिक स्कूल अनुदान (संयुक्त स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान)
4. बालवाटिका और आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान सहित प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा
5. समता और समावेशन जिसमें बालिकाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सुरक्षित और उचित बुनियादी ढांचे का प्रावधान शामिल है।
6. छात्रों को विषयों के चयन में छूट को प्रोत्साहित करना।
7. शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकीय पहलों का उपयोग करते हुए शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा को प्रोत्साहित करना।
8. डिजिटल शिक्षणशास्त्र के उपयोग के लिए आईसीटी, स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय।
9. मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।
10. व्यावसायिक कार्यकलाप और विशेष रूप से स्थानीय उद्योग के साथ प्रशिक्षुतावृत्ति /उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाना। विकास परियोजनाओं/निकटवर्ती उद्योग के साथ कौशल की मैपिंग करना और तदनुसार पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या विकसित करना।

(ग) और (घ): पीएम श्री योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ और अच्छी सुप्रशिक्षित शिक्षकों को सुनिश्चित करने पर जोर देती है। पीएम श्री स्कूलों में व्यक्तिगत और प्रभावी शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को एनईपी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखना आवश्यक है।

शिक्षक प्रशिक्षण को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईटी) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) के माध्यम से मजबूत किया जाता है, जो निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण में आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें अनुभवात्मक और योग्यता-आधारित शिक्षण के साथ-साथ शिक्षण के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी शामिल है। शिक्षकों को नवीनतम और सर्वोत्तम पर्यावरण प्रथाओं तथा विद्यार्थियों के बीच उन्हें प्रचारित करने के सबसे प्रभावी तरीकों से भी अवगत कराया जाता है।

पीएम-श्री स्कूलों को पेयजल आपूर्ति, फर्नीचर, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला और प्रयोगशाला उपकरण जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कमियों की पहचान का उनका समाधान किया गया है। इसके अलावा, पीएम-श्री स्कूलों में डिजिटल शिक्षाशास्त्र को आईसीटी और डिजिटल पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। इसमें प्री-लोडेड शैक्षिक सामग्री वाले टैबलेट के साथ डिजिटल लाइब्रेरी, क्लासरूम डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और शिक्षकों की सहायता करने और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरुआत जैसे प्रयास पर्यावरण अनुकूल "हरित विद्यालय" बनाते हैं। इन सभी घटकों को वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों

और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन के बाद राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / केविसं / नविस द्वारा पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार लिया जाता है।

अनुलग्नक-1

"आदर्श विद्यालय" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री रामसहायम रघुराम रेड्डी द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 943 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयन के चौथे चरण तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस-वार चयनित स्कूलों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11
2	आंध्र प्रदेश	855
3	अरुणाचल प्रदेश	91
4	असम	382
5	बिहार	804
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ़	341
8	दादर और नगर हवेली व दमन और दीव	6
9	गोवा	25
10	गुजरात	448
11	हरियाणा	241
12	हिमाचल प्रदेश	180
13	जम्मू और कश्मीर	396
14	झारखंड	339
15	कर्नाटक	478
16	लद्दाख	36
17	लक्षद्वीप	11
18	मध्य प्रदेश	693
19	महाराष्ट्र	827
20	मणिपुर	105
21	मेघालय	55
22	मिजोरम	30
23	नागालैंड	43
24	ओडिशा	450
25	पुदुचेरी	12
26	पंजाब	233
27	राजस्थान	639
28	सिक्किम	43
29	तेलंगाना	794
30	त्रिपुरा	84
31	उत्तर प्रदेश	1710
32	उत्तराखंड	226
33	केविसं	869
34	नविस	625

	कुल	12084
--	-----	-------
